भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1810

बुधवार, दिनांक 10 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

पीएम-कुसुम घटकों की प्रगति

1810. डॉ. लता वानखेड़ेः

श्री राजेश वर्माः

श्री अतुल गर्गः

श्रीमती भारती पारधीः

श्रीमती शांभवीः

डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरीः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) के तीनों घटकों (घटक-कः सौरीकरण, घटक-खः स्टैंडअलोन पप, घटक-गः फीडर स्तर सौरीकरण) के अन्तर्गत राज्य-वार कितनी प्रगति हुई है;

(ख) निर्धारित लक्ष्यों के अन्तर्गत (घटक-ख) स्थापित सौर पम्पों और सौर ऊर्जा से युक्त कृषि फीडरों (घटक-ग) की कुल संख्या कितनी है;

(ग) किसानों का योगदान, ऋण तक पहुंच और डिस्कॉम की भागीदारी जैसी प्राथमिक चुनौतियों का ब्यौरा क्या है जो पीएम-कुसुम को देशव्यापी रूप से अपनाने में बाधा बन रही है;

(घ) किसानों को दिए जाने वाले सोलर पंप की गुणवत्ता और लगाने के बाद रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ङ) क्या सरकार का पीएम-कुसुम दिशानिर्देशों को सरल बनाने या इसके कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए सब्सिडी घटक को बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) एवं (ख): पीएम कुसुम एक मांग आधारित योजना है। राज्य द्वारा प्राप्त मांगों तथा प्रगति के आधार पर क्षमताओं का आवंटन किया जाता है। इस योजना का सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयन किया जा रहा है।

राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (SIA) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, दिनांक 30.11.2025 की स्थिति के अनुसार, पीएम कुसुम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार स्थापना की प्रगति **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

(ग) से (ङ): पीएम कुसुम योजना को शुरू में कम लागत वाले वित्त की अनुपलब्धता, भूमि संबंधी बाधाएं, बैंकों द्वारा संपार्श्विक की आवश्यकता, निविदाओं को पूरा करने में देरी, समय पर और पर्याप्त राज्य के हिस्से की अनुपलब्धता आदि जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

मंत्रालय ने इन मुद्दों के समाधान के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं और जनवरी 2024 में सरलीकृत और व्यापक संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह किसानों को कम लागत वाले वित्तपोषण प्राप्त करना सरल बनाता है, क्योंकि सभी घटक AIF के तहत शामिल हैं, और भूमि, राज्य के हिस्से और अन्य तकनीकी चुनौतियों से संबंधित मुद्दों का समाधान करते हैं।

पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सब्सिडी राशि के संशोधन के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि योजना की समाप्ति की तिथि 31.03.2026 है।

पीएम कुसुम दिशानिर्देश के अंतर्गत वेंडरों को प्रणाली के चालू होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक रखरखाव सेवाएं प्रदान करना अनिवार्य है। प्रणालियों के समय पर रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए, वेंडरों को प्रत्येक कार्यशील जिले में एक अधिकृत सेवा केंद्र और प्रत्येक कार्यशील राज्य में स्थानीय भाषा में एक टेलीफोन हेल्पलाइन स्थापित करनी होगी। दिशा-निर्देशों में स्थापित प्रणालियों की वास्तविक समय की निगरानी के प्रावधान भी हैं।

<u>अनुलग्नक-I</u>

दिनांक 10.12.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1810 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र- वार प्रगति (दिनांक 30.11.2025 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	घटक-क *(मेगावाट में)*		घटक-ख *(सं)*		घटक-ग *(सं)*		
		स्वीकृत	स्थापित	स्वीकृत	स्थापित	स्वीकृत (IPS)	स्थापित (FLS)	सौरीकृत (IPS+FLS)
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	34	0	436	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0	0	0	2,00,000	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	700	616	0	0	0
4.	असम	2.00	0.00	4,000	151	0	0	0
5.	बिहार	0.00	0.00	0	0	0	1,40,300	0
6.	छत्तीसगढ़	330.00	7.00	0	0	0	10,000	0
7.	गोवा	24.00	4.00	900	157	0	11,000	700
8.	गुजरात	500.00	0.00	18,212	12,382	0	4,67,114	2,16,122
9.	हरियाणा	158.00	26.61	1,97,655	1,80,564	0	2,899	0
10.	हिमाचल प्रदेश	100.00	100.00	1,270	1,053	0	0	0
11.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	5,000	3,601	0	0	0
12.	झारखंड	0.00	0.00	86,985	43,693	0	0	0
13.	कर्नाटक	0.00	0.00	26,365	2,573	0	7,78,588	57,814
14.	केरल	0.00	0.00	8	8	9,448	22,368	13,481
15.	लद्दाख	1.00	0.00	1,400	102	0	0	0
16.	मध्य प्रदेश	1,790.00	54.95	59,400	7,325	0	3,45,000	30,329
17.	महाराष्ट्र	260.00	4.00	5,75,000	4,66,719	0	7,75,000	6,54,695
18.	मणिपुर	0.00	0.00	450	150	0	0	0
19.	मेघालय	0.00	0.00	2,735	98	0	0	0
20.	मिजोरम	0.00	0.00	1,700	40	0	0	0
21.	नागालैंड	0.00	0.00	265	140	0	0	0
22.	ओडिशा	90.00	0.00	16,441	10,113	0	5,223	0
23.	पुडुचेरी	0.00	0.00	72	0	0	0	0
24.	पंजाब	0.00	0.00	18,048	17,592	186	0	0
25.	राजस्थान	5,250.00	466.75	1,44,752	1,15,584	2,138	4,00,000	1,19,978
26.	तमिलनाडु	3.00	3.00	5,187	4,948	0	0	0
27.	तेलंगाना	1,450.00	0.00	20,000	0	28,000	0	0
28.	त्रिपुरा	5.00	0.00	11,114	6,359	3,600	0	702
29.	उत्तर प्रदेश	1.00	1.00	1,07,266	66,558	12,000	3,70,000	5,858
30.	उत्तराखंड	0.00	0.00	3,685	1,663	0	0	0
31.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0	0	20	0	20
	कुल	**9,964.00**	**667.31**	**13,08,644**	**9,42,189**	**55,828**	**35,27,492**	**10,99,699**

*****